REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072025-264399 CG-DL-E-05072025-264399

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] No. 465] नई दिल्ली, सोमवार , जून 30, 2025/आषाढ 9, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2025/ASHADHA 9, 1947

> राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिसूचना नई दिल्ली, 30 जून, 2025

**फा.सं.एन-पी051(12)/18/2024-पीजीएमईबी-एनएमसी.**— जबकि, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट पर 17 जनवरी, 2025 को 'चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025' अधिसूचित किया गया था, जिसमें उन सभी संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त विनियमों की प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए गए थे।

जबकि, उपर्युक्त विनियमों के संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर आयोग द्वारा विचार किया गया है।

अतः, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (ङ), (ध) एवं (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग), धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (च) तथा धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ङ) को पठित करते हुए, और चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या न किए गए बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:–

4268 GI/2025

(1)

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ —
- (1) इन विनियमों को चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो,
- (क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) अभिप्रेत होगा;
- (ख) "प्रशासनिक पद" से चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक या डीन या निदेशक या प्राचार्य का पद अभिप्रेत होगा;
- (ग) "ब्रॉड स्पेशियलिटी" से अनुसूची की तालिका 'क' एवं 'ख' में निर्दिष्ट मास्टर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या डिप्लोमा की विशिष्टताएँ अभिप्रेत होगा;
- (घ) "आयोग" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत होगा;
- (ङ) "संकाय" में निम्नलिखित शामिल होंगे, -
  - (i) "चिकित्सा संकाय" में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं, जिनके पास बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री तथा अनुसूची की तालिका 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में निर्दिष्ट उच्च योग्यताएं हैं; और
  - "गैर-चिकित्सा संकाय" में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर शामिल हैं, जिनके पास विनियमन 11 में निर्दिष्ट मास्टर ऑफ साइंस के साथ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की योग्यता है; और
  - (iii) "दंत संकाय" में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं, जिनके पास बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री तथा विनियम 20 में निर्दिष्ट उच्च योग्यताएं हैं।
- (च) "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की योग्यता प्रदान करने वाले संस्थानों के अलावा अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संस्थान अभिप्रेत होगा;
- (छ) "चिकित्सा संस्थान" से भारत में या बाहर कोई भी संस्थान जो चिकित्सा में डिग्री, डिप्लोमा या चिकित्सा में लाइसेंस प्रदान करता है और इसमें संबद्ध कॉलेज और माने जाने वाले विश्वविद्यालय शामिल हैं अभिप्रेत होगा;
- (ज) "संक्रमण काल" से ऐसी अवधि जिसे आयोग द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किसी ब्रॉड या सुपर स्पेशियलिटी में संकाय की पात्रता के लिए वैकल्पिक योग्यताएं अनुमति देने के उद्देश्य से तब तक निर्धारित किया जा सकता है, जब तक कि ऐसी विशिष्टता के लिए निर्दिष्ट योग्यताओं वाले पर्याप्त संकाय उपलब्ध न हो जाएं अभिप्रेत होगा;
- (झ) "मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान" से आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अभिप्रेत होगा;
- (ञ) "शोध प्रकाशन" से केवल मूल पत्र, मेटा-विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज, जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइटेशन इंडेक्स, एक्सपैंडेड एमबेस, स्कोपस या डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स और ऐसी अन्य पत्रिकाएं जिन्हें आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है अभिप्रेत होगा;
- (ट) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत होगा;
- (ठ) "सुपर स्पेशियलिटी" से अनुसूची की तालिका ग एवं तालिका घ में निर्दिष्ट विशिष्टता अभिप्रेत होगा;
- (2) इनमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं।
- 3. चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा संकाय के लिए योग्यताएं –

भाग	III–	- ਸ਼ਰਾਹਵਾ	41
माग	111-	–લખ્ડ	41

- (1) किसी चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा संकाय के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं
  - (क) कोई भी चिकित्सा ब्रॉड स्पेशियलिटी अनुसूची की तालिका क में निर्दिष्ट के अनुसार होगा;
  - (ख) कोई भी शल्य चिकित्सा ब्रॉड स्पेशियलिटी अनुसूची की तालिका ख में निर्दिष्ट के अनुसार होगा;
  - (ग) कोई भी चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटी अनुसूची की तालिका ग में निर्दिष्ट के अनुसार होगा;
  - (घ) कोई भी शल्य चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटी अनुसूची की तालिका घ में निर्दिष्ट के अनुसार होगा;
- (2) किसी चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा और गैर-चिकित्सा संकाय के लिए योग्यता, अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं-
  - (क) चिकित्सीय ब्रॉड स्पेशियलिटी तथा शल्य ब्रॉड स्पेशियलिटी अनुसूची की तालिका ङ में निर्दिष्ट के अनुसार होगा;
  - (ख) चिकित्सीय सुपर स्पेशियलिटी तथा शल्य सुपर स्पेशियलिटी अनुसूची की तालिका च में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- 4. संकाय की आयु-सीमा कोई भी व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु से अधिक संकाय के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा संस्थान में डीन या निदेशक या प्रिंसिपल या चिकित्सा अधीक्षक के प्रशासनिक पद के लिए योग्यताएं –
  - (1) कोई चिकित्सा संकाय किसी चिकित्सा संस्थान में प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि उसके पास किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव, जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव, प्रोफेसर के रूप में हो।
- (2) किसी भी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी।
- (3) प्रशासनिक पद पर कार्यरत कोई भी चिकित्सा संकाय सदस्य विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा।
- 6. विभागाध्यक्ष की योग्यताएं- कोई भी चिकित्सा संकाय सदस्य, जो अनुसूची की तालिका क, ख, ग एवं 'घ में उल्लिखित योग्यताएं रखता है, संबंधित विशेषता में विभागाध्यक्ष के पद के लिए पात्र होगा।
- 7. नेशनल बोर्ड के डिप्लोमेट की समकक्ष योग्यताओं का निर्धारण —
- (1) ब्रॉड स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की योग्यता को अनुसूची की तालिका क, तालिका ख, तालिका ग और तालिका घ में निर्दिष्ट संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी शैक्षणिक

योग्यता के समकक्ष माना जाएगा, जब इसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा किसी संबद्ध अस्पताल वाले चिकित्सा संस्थान या 500 या उससे अधिक बिस्तर क्षमता वाले अस्पताल में प्रशिक्षण के बाद प्रदान की गई हो।

(2) शिक्षण में समकक्षता के उद्देश्य से, 500 से कम बिस्तर क्षमता वाले चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त ब्रॉड स्पेशियलिटी में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्रासंगिक विशेषज्ञता में मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में एक वर्ष का अतिरिक्त वरिष्ठ रेजिडेंसी पूरा करना आवश्यक होगा।

### 8. वरिष्ठ रेजिडेंट

- (1) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान के प्रासंगिक विभाग में रेजीडेंसी कर रहा हो, अर्थात:
  - (क) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी या डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड में स्नातकोत्तर डिग्री; या
  - (ख) एनाटॉमी या बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी या फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के चिकित्सा विषयों में मास्टर ऑफ साइंस के साथ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में स्नातकोत्तर चिकित्सा की डिग्री,

वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) ब्रॉड स्पेशियलिटी में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु-सीमा पैंतालीस वर्ष होगी:

बशर्ते कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन विषयों के लिए ऊपरी आयु-सीमा पचास वर्ष होगी।

- (3) वरिष्ठ रेजिडेंट का पद अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (4) स्नातकोत्तर सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करने वाले किसी भी व्यक्ति को भी वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में पदनामित किया जाएगा।
- (5) स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले तथा सुपर स्पेशियलिटी शिक्षण प्रदान करने वाले सुपर स्पेशियलिटी विभाग में कार्य करने वाले वरिष्ठ रेजिडेंट द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य होगा, बशर्ते कि ऐसे वरिष्ठ रेजिडेंट की ब्रॉड स्पेशियलिटी योग्यता, प्रासंगिक सुपर स्पेशियलिटी के लिए फीडर योग्यता हो।

9. **ट्यूटर** - कोई भी व्यक्ति, जिसके पास बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री हो, ट्यूटर के पद पर नियुक्ति के योग्य होगा।

10. **डेमोंस्ट्रेटर** - कोई भी व्यक्ति, जिसके पास किसी चिकित्सा विषय में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री और उसी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री है, डेमोंस्ट्रेटर के पद पर नियुक्ति के योग्य होगा, यदि ऐसी योग्यता किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से नियमित, परिसर में संचालित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की गई हो। [भाग III—खण्ड 4]

11. **गैर-चिकित्सा संकाय की नियुक्ति** - कोई भी व्यक्ति, जिसने नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट संबंधित विशेषताओं में कॉलम (3) में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की हों, वह आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुसार गैर-चिकित्सीय संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि उक्त योग्यताएं किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से नियमित, परिसर में संचालित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की गई हों, अर्थात् —

#### तालिका

<b>क्र</b> .सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता
(1)	(2)	(3)
1.	एनाटॉमी	मेडिकल एनाटॉमी में मास्टर ऑफ साइंस के साथ मेडिकल एनाटॉमी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
2.	बायोकेमिस्ट्री	मेडिकल बायोकैमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस के साथ मेडिकल बायोकैमिस्ट्री में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
3.	फिजियोलॉजी	मेडिकल फिजियोलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस के साथ मेडिकल फिजियोलॉजी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
4.	फार्माकोलॉजी	मेडिकल फार्माकोलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस के साथ मेडिकल फार्माकोलॉजी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
5.	माइक्रोबायोलॉजी	मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस के साथ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

### गैर-चिकित्सा संकाय की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

- 12. **संक्रमण काल के दौरान संकाय की नियुक्ति** जहां किसी विशेष स्पेशियलिटी में उस स्पेशियलिटी की योग्यता रखने वाले संकाय की कमी है, वहां अनुसूची की तालिका क, ख, ग और घ में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति संक्रमण काल के लिए उस स्पेशियलिटी में संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकता है, यदि उसके पास निम्नलिखित में से कोई भी अनुभव हो, अर्थात: -
  - (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिए समर्पित एक विशेष विभाग या यूनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढांचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या यूनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है; या
  - (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या यूनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; या
  - (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिए समर्पित विभाग या यूनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और

- (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान संबंधित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए।
- 13. कुछ पदों पर कार्यकाल को शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जाना किसी संकाय सदस्य द्वारा आयोग या विश्वविद्यालय या राज्य चिकित्सा परिषद या चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित सरकारी संगठन में की गई अधिकतम पांच वर्ष की संचयी सेवा अवधि को शिक्षण अनुभव माना जाएगा और उसे संकाय सदस्य की कुल सेवा अवधि की गणना में शामिल किया जाएगा।
- 14. **चिकित्सा शिक्षा में मूल पाठ्यक्रम से छूट** निम्नलिखित संकाय को चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम से करने की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी, अर्थात्:
  - (क) कोई भी संकाय जो सुपर स्पेशियलिटी विभागों में या ऐसे ब्रॉड स्पेशियलिटी विषयों में सेवारत है जो स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं; तथा
  - (ख) राष्ट्रीय महत्व के किसी संस्थान में सेवारत कोई संकाय;

बशर्ते कि खंड (ख) में निर्दिष्ट संकाय को किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

- 15. **सांख्यिकी के सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति** वह कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित योग्यता रखता है, सामुदायिक चिकित्सा विभाग में सांख्यिकी के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, अर्थातु:
  - (क) स्वास्थ्य सांख्यिकी या चिकित्सा सांख्यिकी या जैव सांख्यिकी या सांख्यिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री; और
  - (ख) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री
- 16. **ब्रॉड स्पेशियलिटी में स्नातकोत्तर गाइड के रूप में नामित होने के लिए पात्रता** किसी चिकित्सा संस्थान में एक संकाय सदस्य ब्रॉड स्पेशियलिटी में स्नातकोत्तर गाइड के रूप में नामित होने के लिए पात्र होगा यदि ऐसे सदस्य के पास सहायक प्रोफेसर या उससे उच्च पद पर संबंधित स्पेशियलिटी में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
- 17. **सुपर स्पेशियलिटीज में पोस्टग्रेजुएट गाइड के रूप में नामित होने के लिए पात्रता**.- किसी चिकित्सा संस्थान में एक संकाय सदस्य सुपर स्पेशियलिटी में पोस्टग्रेजुएट गाइड के रूप में नामित किए जाने की पात्रता होगी, यदि ऐसे सदस्य के पास सहायक प्रोफेसर या उच्च पद पर संबंधित सुपर स्पेशियलिटी में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
- 18. समकक्ष विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताएं कोई भी व्यक्ति जिसने भारत में बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की योग्यता प्राप्त की है और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे पांच अंग्रेजी बोलने वाले देशों में से किसी से मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता (भारत में पंजीकरण के लिए पात्र) प्राप्त की है, वह संबंधित स्पेशियलिटी में भारत में एक चिकित्सा संस्थान में सहायक प्रोफेसर या वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास एक वर्ष का शिक्षण अनुभव हो और जो उस स्पेशियलिटी में अभ्यास करने के लिए उस देश में पंजीकृत हो, उसे सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता हेतु वरिष्ठ रेजिडेंट के लिए अनिवार्य एक वर्ष के अनुभव की आवश्यकता से छुट दी जा सकेगी:

इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में—

- (क) यूनाइटेड किंगडम, ऐसे व्यक्ति के पास विशेषज्ञ प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाण पत्र या रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के अंतिम फेलो के साथ समकक्ष प्रशिक्षण या रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के फेलो की योग्यता और उस देश में उस स्पेशियलिटी में अभ्यास करने के लिए पंजीकृत होना चाहिए,
- (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा -
  - (i) ऐसे व्यक्ति के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रासंगिक स्पेशियलिटी में रेजीडेंसी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री होनी चाहिए; और
  - (ii) सुपर स्पेशियलिटीज के लिए, प्रासंगिक सुपर स्पेशियलिटी में मान्यता प्राप्त फेलोशिप कार्यक्रम के साथ रेजीडेंसी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया होना चाहिए।
- (ग) ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड
  - (i) ऐसे व्यक्ति ने संबंधित स्पेशियलिटी के फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स या फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में पर्यवेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो; और
  - (ii) सुपर स्पेशियलिटी के लिए, संबंधित सब-स्पेशियलिटी में कम से कम दो वर्ष का पर्यवेक्षित सब-स्पेशियलिटी फेलोशिप कार्यक्रम किया होना चाहिए।
- 19. **मेडिकल फिजिसिस्ट की नियुक्ति** कोई व्यक्ति नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट चिकित्सा फिजिसिस्ट के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि ऐसे व्यक्ति के पास कॉलम (3) में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं और उक्त तालिका के संगत कॉलम (4) में निर्दिष्ट अनुभव है, अर्थात्:

तालिका

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड-II या डेमॉन्स्ट्रेटर	एम.एससी मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और एक साल की इंटर्नशिप; या	लागू नहीं
		एम.एससी फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या	

मेडिकल फिजिसिस्ट की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

#### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

		मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा तथा एक वर्ष की इंटर्नशिप	
2.	मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड-I या असिस्टेंट प्रोफेसर.	<ul> <li>(क) (i) एम.एससी मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या</li> <li>(ii) एम.एससी फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा; और</li> </ul>	मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड II के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव पीएच.डी. के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ डीएनबी (रेडिएशन ऑन्कोलॉजी)पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो।
		(ख) मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पीएच.डी.	
3.	वरिष्ठ मेडिकल फिजिसिस्ट या एसोसिएट प्रोफेसर	(क) (i) एम.एससी मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या (ii) एम.एससी फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा; और	<ul> <li>(क) मेडिकल फिजिसिस्ट ग्रेड-I या असिस्टेंट प्रोफेसर, मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या अस्पताल में मान्यता प्राप्त डीएनबी (रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) कोर्स के साथ चार वर्ष का अनुभव; और</li> <li>(ख) पिछले पद पर कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक</li> </ul>
		(ख) रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स में पीएच.डी	होना चाहिए।
4.	मुख्य मेडिकल फिजिसिस्ट या प्रोफेसर	(क) (i) एम.एससी मेडिकल फिजिक्स / रेडियोलॉजिकल फिजिक्स; या (ii) एम.एससी फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा;	(क) वरिष्ठ चिकित्सा फिजिसिस्ट या एसोसिएट प्रोफेसर, मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या अस्पताल में मान्यता प्राप्त डीएनबी (रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) पाठ्यक्रम के साथ तीन वर्ष का अनुभव; और
		और (ख) रेडियोलॉजिकल फिजिक्स /मेडिकल फिजिक्स में पीएच.डी	(ख) पिछले पद पर कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए।

20. **चिकित्सा संस्थान में दंत चिकित्सा विभाग में संकाय की नियुक्ति** - कोई व्यक्ति नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि ऐसे व्यक्ति के पास कॉलम (3) में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं और उक्त तालिका के संगत कॉलम (4) में निर्दिष्ट अनुभव है, अर्थात्:- [भाग III—खण्ड 4]

तालिका
दंत चिकित्सा विभाग में संकाय की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

क्र.सं.	पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रोफेसर	एम.डी.एस.	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में दंत चिकित्सा विभाग में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो; या
			(ii)  मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा कॉलेज में चार वर्षों तक एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो; और
			(ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए; और
			(ii) नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर आयोग द्वारा नामित संस्थानों से चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक होगा; और
			(iii) आयोग द्वारा नामित संस्थानों से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो।
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	एम.डी.एस.	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में दंत चिकित्सा विभाग में चार वर्ष तक सहायक प्रोफेसर; या
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा कॉलेज में पांच वर्ष तक सहायक प्रोफेसर; और
			(ख) (i) सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए; और
			(ii) नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर आयोग द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना अपेक्षित होगा;
			(ग) आयोग द्वारा नामित संस्थानों से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो।
3.	सहायक प्रोफेसर	एम.डी.एस.	एमडीएस डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल/डेंटल कॉलेज में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट या रजिस्ट्रार या ट्यूटर या लेक्चरर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

File No. N-P051(12)/18/2024-PGMEB-NMC (Computer No. 8303666) Generated from eOffice by Inderjeet, Consultant(Inderjeet)-PC-NMC, CONSULTANT, NMC on 07/07/2025 11:25 am

#### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

			नोट: सहायक प्रोफेसर के रूप में एक वर्ष के अनुभव को सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।
4.	वरिष्ठ रेजिडेंट	एम.डी.एस.	कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज से डेंटल सर्जरी में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद दंत चिकित्सा में सीनियर रेजीडेंसी कर रहा हो।
			नोट 1: सीनियर रेजीडेंट का पद अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।
			नोट 2: प्रारंभिक नियुक्ति के समय ऊपरी आयु-सीमा 45 वर्ष से कम होगी।

# अनुसूची

# [विनियमन 3 और 7 (1) देखें]

### तालिका क

# चिकित्सा के ब्रॉड स्पेशियलिटी में संकाय के लिए शैक्षणिक योग्यताएं

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
1.	एयरोस्पेस मेडिसिन	एम.डी. (एविएशन मेडिसिन)/एम.डी. (एयरोस्पेस मेडिसिन)	लागू नहीं
2.	एनाटॉमी	एम.डी./एम.एस/डीएनबी (एनाटॉमी) एमएससी (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ मेडिकल एनाटॉमी में पीएचडी	लागू नहीं
3.	एनेस्थिसियोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी)	लागू नहीं
4.	बायोकेमिस्ट्री	एम.डी./डीएनबी (बायोकेमिस्ट्री) एमएससी (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) के साथ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी	लागू नहीं
5.	बायोफिज़िक्स	एम.डी.(बायोफिज़िक्स) एमएससी (बायोफिज़िक्स या मेडिकल बायोकैमिस्ट्री) के साथ पीएचडी (बायोफिज़िक्स) एम.डी. (फिजियोलॉजी) एम.डी. (बायोकेमिस्ट्री)	लागू नहीं
6.	सामुदायिक चिकित्सा	एम.डी./डीएनबी(सामुदायिक चिकित्सा) एम.डी. (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)	लागू नहीं

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
7.	त्वचाविज्ञान,	एम.डी./डीएनबी	लागू नहीं
	रतिजरोग विज्ञान और	(त्वचाविज्ञान, रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ	
	कुष्ठ रोग	रोग)	
8.	आपातकालीन	एम.डी./डीएनबी (आपातकालीन चिकित्सा)	लागू नहीं
	चिकित्सा	म्म.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)	
		एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसिया) एम.डी./डीएनबी (श्वसन चिकित्सा)	
		एम.एस/डीएनबी (सामान्य सर्जरी)	
		एम.एस/डीएनबी (हड्डी रोग)	
9.	पारिवारिक चिकित्सा	एम.डी./डीएनबी (पारिवारिक चिकित्सा)	
		एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा) एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)	
		एम.डी./डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	
		एम.डी./डीएनबी(सामान्य सर्जरी)	
		एम.डी./डीएनबी(सामुदायिक चिकित्सा)	
10.	फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी	एम.डी./डीएनबी(फो रें सि क मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	लागू नहीं
11.	सामान्य चिकित्सा	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)	लागू नहीं
12.	जराचिकित्सा	एम.डी./डीएनबी (जराचिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)
13.	स्वास्थ्य प्रशासन	एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन)	लागू नहीं
		डीएनबी (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)	
		एमडी (सामुदायिक चिकित्सा)	
14.	अस्पताल प्रशासन	एमडी (अस्पताल प्रशासन)	लागू नहीं
15.	इम्यूनो हेमेटोलॉजी	एम.डी./डीएनबी	एम.डी./डीएनबी(ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन)
	और ब्लड ट्रास्फ्यूज़न	(इम्यूनो हेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन)	एम.डी./डीएनबी (पैथोलॉजी)
16.	प्रयोगशाला चिकित्सा	एम.डी. (प्रयोगशाला चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी (पैथोलॉजी)
			एम.डी./डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी) एम.डी./डीएनबी (बायोकेमिस्ट्री)
17.	समुद्री चिकित्सा	एम.डी. (समुद्री चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी (फिजियोलॉजी) एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)
18.	मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ	एमपीएच (महामारी विज्ञान में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ)	एम.डी./डीएनबी(सामुदायिक चिकित्सा)
	्र (महामारी विज्ञान)		
19.	माइक्रोबायोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी)	लागू नहीं
-		मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी के साथ एमएससी (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी)	
20			ि किसी मान्यना माम देंन में ज्यतिस्यान
20.	न्यूक्लियर मेडिसिन	एम.डी./डीएनबी (न्यूक्लियर मेडिसिन)	किसी मान्यता प्राप्त केंद्र में न्यूक्लियर

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
			मेडिसिन में दो साल के अनुभव के साथ एम.डी. (रेडियोथेरेपी)
			एम.डी.(मेडिसिन) के साथ डीआरएम या डीएनएम
			एम.डी. (रेडियो-डायग्नोसिस) के साथ किसी मान्यता प्राप्त केंद्र में न्यूक्लियर मेडिसिन में दो वर्ष का अनुभव
			एम.डी. (बायोफिजिक्स) या बायोफिजिक्स में इसके समकक्ष योग्यता के साथ डीआरएम या डीएनएम या डीएनबी न्यूक्लियर मेडिसिन के साथ किसी मान्यता प्राप्त केंद्र में दो वर्ष का अनुभव
21.	बाल चिकित्सा	एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)	लागू नहीं
22.	उपशामक चिकित्सा	एम.डी./डीएनडी (उपशामक चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी) एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा) एम.डी./डीएनबी(विकिरण ऑन्कोलॉजी) एम.डी./डीएनबी (जरा चिकित्सा)
23.	विकृति विज्ञान	एम.डी./डीएनबी (विकृति विज्ञान)	लागू नहीं
24.	फार्माकोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (फार्माकोलॉजी) एमएससी (मेडिकल फार्माकोलॉजी) के साथ मेडिकल फार्माकोलॉजी में पीएचडी	लागू नहीं
25.	शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास	एम.डी./डीएनबी (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास)	एम.एस./एम.डी./डीएनबी (पीएमआर में डिप्लोमा के साथ मेडिसिन) एम.एस/डीएनबी (सामान्य सर्जरी) एम.एस./डीएनबी (हड्डी रोग)
26.	फिजियोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (फिजियोलॉजी) एमएससी (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ मेडिकल फिजियोलॉजी में पीएचडी	लागू नहीं
27.	मनोचिकित्सा	एम.डी./डीएनबी (मनोचिकित्सा)	लागू नहीं
28.	विकिरण ऑन्कोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (विकिरण ऑन्कोलॉजी)	लागू नहीं
29.	रेडियो निदान	एम.डी./डीएनबी (रेडियो निदान)	लागू नहीं
30.	श्वसन चिकित्सा	एम.डी./डीएनबी (श्वसन चिकित्सा)	लागू नहीं
31.	खेल चिकित्सा	एम.डी. (खेल चिकित्सा)	एम.डी. (खेल चिकित्सा) एम.एस. (हड्डी रोग) एम.डी. (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास)

[भाग III—खण्ड 4]

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
			एम.डी. (फिजियोलॉजी) - री सन सन (केन विकिन्स में किन्सेसर)
32.	उष्णकटिबंधीय	एम.डी. (उष्णकटिबंधीय चिकित्सा)	डी.एस.एम (खेल चिकित्सा में डिप्लोमा) एम.डी. (सामान्य चिकित्सा)
	चिकित्सा		

### तालिका ख

# सर्जिकल ब्रॉड स्पेशियलिटी में संकाय के लिए शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
1	सामान्य सर्जरी	एम.एस/डीएनबी (सामान्य सर्जरी)	लागू नहीं
2	प्रसूति एवं स्त्री रोग	एम.डी./एम.एस/डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	लागू नहीं
3	नेत्र विज्ञान	एम.एस/एम.डी./डीएनबी (नेत्र विज्ञान)	लागू नहीं
4	हड्डी रोग	एम.एस/डीएनबी (हड्डी रोग)	लागू नहीं
5	ओथोरिनोलरिंगोलॉजी	एम.एस/डीएनबी (ओथोरिनोलरिंगोलॉजी)	लागू नहीं
6	ट्रिमोलॉजी और सर्जरी	एम.एस/डीएनबी (ट्रिमोलॉजी और सर्जरी)	एम.डी./एम.एस/डीएनबी (सामान्य सर्जरी) एम.डी./एम.एस/डीएनबी (हड्डी रोग)

# तालिका ग मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज में संकाय के लिए शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
1.	कार्डियक एनेस्थीसिया	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थीसिया)
		(कार्डियक एनेस्थोलॉजी)	
2.	कार्डियोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
		(कार्डियोलॉजी)	
3.	बाल एवं किशोर	डी.एम. (बाल एवं किशोर	एम.डी./डीएनबी (मनोचिकित्सा)
	मनोचिकित्सा	मनोचिकित्सा)	
4.	क्लिनिकल हेमेटोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी (बायोकेमिस्ट्री)
		(क्लिनिकल हेमेटोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी (पैथोलॉजी)/
			एम.डी./डीएनबी(इम्यूनोहाइमैटोलॉजी और

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
			ब्लड ट्रांस्फ्यूजन)
5.	क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी
	रुमेटोलॉजी	(क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और	(सामान्य चिकित्सा)
		रुमेटोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)
6.	क्लिनिकल फार्माकोलॉजी	डी.एम. (क्लिनिकल फार्माकोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी (फार्माकोलॉजी)
7.	क्रिटिकल केयरमेडिसिन	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी(एनेस्थिसियोलॉजी)
		(क्रिटिकल केयरमेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी(श्वसन चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी
			(आपातकालीन चिकित्सा) एम.डी./डीएनबी
			डीएम (पल्मोनरी चिकित्सा)
8.	एंडोक्राइनोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (एंडोक्राइनोलॉजी)	लागू नहीं
9.	जेरिएट्रिक मेंटल हेल्थ	डी.एम. जेरिएट्रिक मेंटल हेल्थ	एम.डी./डीएनबी (मनोचिकित्सा)
10.	हीपैटोलॉजी	डी. एम.(हेपेटोलॉजी)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी
			1.गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
			2.जनरल मेडिसिन
11.	संक्रामक रोग	डी. एम.(संक्रामक रोग)	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी) एम.डी./डीएनबी  (श्वसन चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी (उष्णकटिबंधीय चिकित्सा)
12.	इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी
		(इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी)	(रेडियो डायग्नोसिस)
13.	मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
		(गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)	
14.	मेडिकल जेनेटिक्स	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी
		(मेडिकल जेनेटिक्स)	(सामान्य चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी
			(बाल चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी
			(प्रसूति एवं स्त्री रोग)
15.	मेडिकल ऑन्कोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)
		(मेडिकल ऑन्कोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी (विकिरण ऑन्कोलॉजी)

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
16.	नियोनेटोलॉजी	डी,एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी
		(नियोनेटोलॉजी)	(बाल चिकित्सा)
17.	नेफ्रोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
		(नेफ्रोलॉजी)	
18.	न्यूरो-एनेस्थीसिया	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थीसिया)
		(न्यूरो-एनेस्थीसिया)	
19.	न्यूरोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
		(न्यूरोलॉजी )	
20.	न्यूरो-रेडियोलॉजी	डी.एम.	एम.डी./डीएनबी (रेडियो डायग्नोसिस)
		(न्यूरो-रेडियोलॉजी)	
21.	ऑन्को-पैथोलॉजी	डी.एम.(ऑन्को-पैथोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी (पैथोलॉजी)
22.	अंग प्रत्यारोपण एनेस्थीसिया	डी.एम. (अंग प्रत्यारोपण	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थीसिया)
	और गंभीर देखभाल	एनेस्थीसिया और गंभीर	
		देखभाल) कि.—. (.—. २००० क्षेत्र	
23.	बाल चिकित्सा और नवजात एनेस्थीसिया	डी.एम. (बाल चिकित्सा और नवजात एनेस्थीसिया)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थीसिया)
24.	बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी/डीएनबी बाल चिकित्सा
		(बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी)	,
25.	बाल चिकित्सा गंभीर	् डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी बाल चिकित्सा
	देखभाल	(बाल चिकित्सा गंभीर	
		देखभाल)	
26.	बाल चिकित्सा	डी.एम.( बाल चिकित्सा	एम.डी./डीएनबी बाल चिकित्सा
	गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)	
27.	बाल चिकित्सा हेपेटोलॉजी	डी.एम.( बाल चिकित्सा <u>रेरे रेन्ट्रॅ</u> फि	एम.डी./डीएनबी बाल चिकित्सा
20		हेपेटोलॉजी) - िप्पस (जन्म किल्लिस	
28.	बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी	डी.एम. (बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी)	एम. डी./डीएनबी बाल चिकित्सा
29.	बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी	डी. एम./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./डीएनबी बाल चिकित्सा
20.		(बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी)	
30.	बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी	डी. एम. (बाल चिकित्सा	एम.डी./डीएनबी बाल चिकित्सा
		ऑन्कोलॉजी)	
31.	पल्मोनरी मेडिसिन	डी. एम. (पल्मोनरी मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी(श्वसन चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी(सामान्य चिकित्सा)
			एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)
32.	वायरोलॉजी	डी. एम. (वायरोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी
			(माइक्रोबायोलॉजी)

	तालिका घ
सर्जिकल	सुपर स्पेशियलिटीज में संकाय के लिए शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
1	एंडोक्राइन सर्जरी	एम.सीएच. (एंडोक्राइन सर्जरी)	एम.एस/डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)
2	स्त्री रोग संबंधी	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी	एम.डी./एम.एस./डीएनबी
	ऑन्कोलॉजी	(स्त्री रोग संबंधी ऑन्कोलॉजी)	(प्रसूति एवं स्त्री रोग)
3	हाथ की सर्जरी	एम.सीएच. (हाथ की सर्जरी)	एम.एस/डीएनबी (हड्डी रोग)
4	सिर और गर्दन की	एम.सीएच.	एम.एस/डीएनबी
	सर्जरी	(सिर और गर्दन की सर्जरी)	(सामान्य सर्जरी)
			एम.एस/डीएनबी(ओथोरिनोलरिंगोलॉजी)
5	हेपेटो-पैनक्रिएटो-	एम.सीएच.	1.एम.सीएच./डीएनबी
	बिलियरी-सर्जरी	(हेपेटो-पैनक्रिएटो-बिलियरी-सर्जरी)	(सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)
			2.एम.एस/डीएनबी
			(सामान्य सर्जरी)
6	न्यूरोसर्जरी	एम.सीएच/डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
		(न्यूरो सर्जरी)	
7	बाल चिकित्सा (कार्डियो	एम.सीएच.	l.एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी
	थोरेसिक वैस्कुलर	(बाल चिकित्सा (कार्डियो थोरेसिक	(कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी)
	सर्जरी)	वैस्कुलर सर्जरी)	2. सामान्य सर्जरी में एम.एस/डीएनबी
8	बाल चिकित्सा	एम.सीएच.	एम.एस/डीएनबी (हड्डी रोग)
	ऑर्थोपेडिक्स	(बाल चिकित्सा आर्थोपेडिक्स)	
9	बाल चिकित्सा सर्जरी	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
		(बाल चिकित्सा सर्जरी)	
10	प्लास्टिक एवं	एम.सीएच/डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
	पुनर्निर्माण सर्जरी	(प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण सर्जरी)	
11	प्रजनन चिकित्सा और	एम.सीएच.	एम.डी./एम.एस./डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्री
	सर्जरी	(प्रजनन चिकित्सा और सर्जरी)	रोग)
			एफएनबी (प्रजनन चिकित्सा) एक वर्ष के अतिरिक्त अनुभव के साथ
12	सर्जिकल गैस्ट्रो-	एम.सीएच/डीएनबी/ डीआरएनबी	एम.एस/डीएनबी (सामान्य सर्जरी)
	एंटरोलॉजी	(सर्जिकल गैस्ट्रो-एंटरोलॉजी)	
13	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
		(सर्जिकल ऑन्कोलॉजी)	
14	यूरोलॉजी	एम.सीएच/डीएनबी/डीआरएनबी	लागू नहीं
		(यूरोलॉजी )	
15	वैस्कुलर सर्जरी	एम.सीएच/डीएनबी/डीआरएनबी	एम.एस/डीएनबी (सामान्य सर्जरी)

क्र.सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
		(वैस्कुलर सर्जरी)	
16.	कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी (कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी)	लागू नहीं

### तालिका ङ

# चिकित्सा ब्रॉड स्पेशियलिटी और शल्य चिकित्सा ब्रॉड स्पेशियलिटी में संकाय के लिए अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं

[डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एम.डी.) और मास्टर ऑफ सर्जरी (एम.एस.)

क्र.सं	पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं
1.	प्रोफ़ेसर	तालिका क और तालिका ख के अनुसार	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर; या
			(ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और
			(ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए;
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो; और
			(iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते कि उनका ब्रॉड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता हो।
			नोट 1: विमानन चिकित्सा और समुद्री चिकित्सा के सदंर्भ में, विमानन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्रन के रूप में दो वर्ष का अनुभव और समुद्री चिकित्सा के लिए डाइर्विंग और एस्केप प्रशिक्षण स्कूल में दो वर्ष का अनुभव, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।
			नोट 2: कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा

क्र.सं	पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं
			बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्रॉड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जाएगा।
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	तालिका क और तालिका ख के अनुसार	<ul> <li>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में चार वर्षों तक सहायक प्रोफेसर या सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त सहायक प्रोफेसर के लिए पांच वर्ष तक; या</li> <li>(ii) सशस्त्र बलों का एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसे संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का नैदानिक अनुभव हो, जिसमें सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव हो; और</li> <li>(ख) (i) सहायक प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए;</li> <li>(ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा</li> </ul>

[भाग III—खण्ड 4]

क्र.सं	पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं
			संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो; और
			(iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से करना होगा, बशर्ते कि उनका ब्रॉड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता हो।
			नोट 1: विमानन चिकित्सा और समुद्री चिकित्सा की विशेषज्ञता में, फ्लाइंग स्क्वाड्रन तथा डाइविंग एवं एस्केप ट्रेनिंग स्कूलों में क्रमशः अधिकतम चार वर्षों का अनुभव, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए दो वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।
			नोट 2: कोई गैर-शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल में दस वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा; तथा इस पद पर नियुक्ति के उपरांत, उसे दो वर्षों के भीतर चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम एवं बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।
3.	सहायक प्रोफेसर	तालिका क और तालिका ख के अनुसार	(क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में विनियम 8 में निर्दिष्ट संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
			नोट 1: सीनियर रेज़िडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो।
			नोट 2: ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेज़िडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।
			नोट 3: डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान मे प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा; या

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

क्र.सं	पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं	
			(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके	
			पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त	
			करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो	
			वर्ष का नैदानिक अनुभव हो।	
			नोट1: विमानन चिकित्सा और समुद्री चिकित्सा की विशेषज्ञता में फ्लाइंग स्क्वाड्रन और डाइविंग एवं एस्केप ट्रेनिंग स्कूलों में क्रमशः दो वर्षों का अनुभव, सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एक वर्ष के शिक्षण अनुभव (वरिष्ठ रेजिडेंट के बदले में) के बराबर माना जाएगा।	
			(ग) कोई गैर-शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेज़िडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीबीआर) पूरा करना होगा; या	
			(घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेज़िडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेज़िडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो; या	
			(ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।	
			में नियुक्ति के लिए, सामान्य शल्य चिकित्सा या एनेस्थीसिया या	
			। ब्रॉड स्पेशियलिटी में पिछले शिक्षण अनुभव को गिना जाएगा 	
) आर एसा   होगा।	और ऐसी नियुक्ति पर, नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर आयोग द्वारा निर्धारित संकाय विकास कार्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा करना चेन्म			
હાગા				

[भाग III—खण्ड 4]

तालिका च

मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज और सर्जिकल सुपर स्पेशियलिटीज में संकाय के लिए अनुभव, शोध और अन्य आवश्यकताएं

[डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) और मास्टर ऑफ चिरुगिया (एम.सीएच.)]

क्र.सं	पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण एवं शोध अनुभव
1.	प्रोफ़ेसर	तालिका ग और तालिका घ के अनुसार	(क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर; और
			(ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए; और
			(ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	तालिका ग और तालिका घ के अनुसार	(क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में दो वर्षों का अनुभव; और
			(ख) (i) सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए; और
			(ii) आयोग द्वारा नामित चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
3	सहायक प्रोफेसर	तालिका ग और तालिका घ के अनुसार	आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।
			हो और जो किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में ब्रॉड पेशियलिटी विभाग के समकक्ष पद के संकाय बनने का पात्र

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./198/2025-26]

टिप्पणी: ये विनियम अंग्रजी और हिंदी में प्रकाशित किए जा रहे हैं, इन विनियमों की व्याख्या के मामले में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रजी संस्करण मान्य होगा।

### NATIONAL MEDICAL COMMISSION . NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June 2025.

**F. No.N-P051(12)/18/2024-PGMEB-NMC.** – Whereas, the Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2025 were notified in the website of the National Medical Commission on 17<sup>th</sup> January, 2025 inviting suggestions and objections from all persons likely to be affected thereby, within thirty days from the date on which the copy of the said regulations were made available to the public;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said regulations within the period so specified, have been considered by the Commission.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e), (s) and (x) of sub-section (2) of section 57 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) read with clauses (b) and (c) of sub-section (l) of section 10, clause (f) of sub-section (l) of section 24 and clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the said Act and in supersession of the Teachers Eligibility. Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Medical Commission hereby makes the following regulations, namely:  $\_$ 

**1. Short title and commencement.** — (l) These regulations may be called the Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- **2. Definitions.** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, \_\_\_
  - (a) "Act" means the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019);
  - (b) "administrative posts" means the posts of Medical Superintendent or Dean or Director or Principal of a medical institution;
  - (c) "broad specialty" means the specialties in Master of Surgery or Doctor of

Medicine or Diploma specified in Table A and Table B of the Schedule;

- (d) "Commission" means the National Medical Commission;
- (e) "faculty" includes, -

(i) "medical faculty" consisting of Professor or Associate Professor or Assistant Professor having Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery degree and higher qualifications as specified in tables A, B, C and D of the Schedule;

(ii) "non-medical faculty" consisting of Professor or Associate Professor or Assistant Professor having Master of Science with Doctor of Philosophy qualifications as specified in regulation 11; and

(iii) "dental faculty" consisting of Professor or Associate Professor or Assistant Professor having Bachelor of Dental Surgery and higher qualifications as specified in regulation 20.

(f) "institute of national importance" means any of the institutions specified in the Schedule to the Act other than institutes granting qualifications of National Board of Examination;

(g) "medical institution" means any institution within or outside India which grants degrees, diplomas or licences in medicine and includes affiliated colleges and deemed to be Universities;

(h) "transition period" means such period as may be determined by the Commission based on the recommendations of the Postgraduate Medical Education Board for the purposes of allowing alternate qualifications for eligibility of faculty in a broad or super specialty, till adequate faculty with qualifications specified for such specialty are available;

(i) "recognised medical institution" means any institution recognised by the Commission;

(j) research publication" means only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Citation Index,

Expanded Embase, Scopus or Directory of Open Access Journals and other such journals as may be specified by the Commission from time to time;

(k) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;

(1) "super specialty" means specialties specified in Table C and Table D of the Schedule.

(2) The words and expressions used herein but not defined and defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

**3.** Qualifications for medical and non-medical faculty. — (1) The academic qualifications required for medical and non-medical faculty in a medical institution...

(a) in any of the medical broad specialties shall be as specified in Table A of the Schedule;

(b) in any of the surgical broad specialties shall be as specified in Table B of the Schedule;

(c) in any of the medical super specialties shall be as specified in Table C of the Schedule;

(d) in any of the surgical super specialties shall be as specified in Table D. of the Schedule.

(2) The qualifications relating to, experience, research and other requirements for medical and non-medical faculty in a medical institution, -

(a) in the medical broad specialties and surgical broad specialties shall be as specified in Table E of the Schedule;

(b) in the medical super specialties and surgical super specialties shall be as specified in Table F of the Schedule.

4. Age-limit of faculty. — No person shall serve as a faculty beyond the age of seventy years.

5. Qualifications for administrative post of Dean or Director or Principal or Medical Superintendent of a recognised medical institution. — (1) A medical faculty shall be eligible for appointment to administrative posts in a medical institution if he possesses at least ten years of teaching experience in a medical institution, of which at least five years shall be as a Professor.

(2) Appointments to any of the administrative posts shall be made on the basis of seniority-cum-merit.

(3) A member of the medical faculty holding administrative post shall not be eligible to hold the position of Head of the Department.

**6.** Qualifications of Head of Department. – A member of medical faculty possessing the qualifications mentioned in Tables A, B, C and D of the Schedule shall be eligible for the post of the Head of Department in the concerned specialty.

**7. Determination of equivalent qualifications of Diplomate of National Board.** — (1) The Diplomate of National Board qualification in broad specialty and super specialty shall be considered equivalent to the corresponding broad specialties and super specialties academic qualifications specified in Table A, Table B, Table C and Table D of the Schedule, when awarded by the National Board of Examinations after training in a medical institution with an attached hospital or in a hospital having a bed strength of 500 or more.

(2) For the purposes of equivalence in teaching, persons holding a Diplomate of National Board qualification in broad specialty obtained from medical institutions with a bed strength of less than 500 shall be required to complete an additional one-year senior residency in a recognised medical institution in the relevant specialty.

**8.** Senior Resident. – (1) Any person undergoing residency in a relevant department of a recognised medical institution after obtaining the following qualification, namely:\_\_\_\_\_

(a) postgraduate degree in Doctor of Medicine or Master of Surgery or Diplomate of National Board; or

(b) postgraduate medical degree in Master of Science with Doctor of Philosophy in the medical subjects of Anatomy or Biochemistry or Physiology or Pharmacology or Microbiology,

shall be eligible for appointment as a Senior Resident.

(2) The upper age-limit for appointment as a Senior Resident in broad specialties shall be forty-five years:

Provided that for the subjects of Anatomy, Biochemistry, Physiology, Pharmacology, Microbiology, Pathology, Forensic Medicine and Community Medicine, the upper age-limit shall be fifty years.

(3) The post of Senior Resident shall be for a maximum period of three years.

(4) Any person pursuing postgraduate super specialty courses shall also be designated as Senior Resident.

(5) The experience gained by a Senior Resident having a postgraduate degree and working in a super specialty department offering super specialty teaching shall be valid for appointment as Assistant Professor, provided that such Senior Resident's broad specialty qualification is a feeder qualification for the relevant super specialty.

**9.** Tutor. — Any person possessing a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery degree shall be qualified for appointment as a Tutor.

**10. Demonstrator**. — Any person, possessing a Master of Science degree in a medical subject and Doctor of Philosophy degree on the same subject, shall be qualified for appointment as a Demonstrator if such qualification is obtained through a regular, in campus course from a recognised medical institution.

**11. Appointment of non-medical faculty.** – Any person possessing the academic qualifications specified in column (3) of the table below, in the corresponding specialties specified in column (2) of the said table, shall be eligible for appointment as a non-medical faculty as per the minimum standards requirement specified by the Commission from time to time, if such qualification is obtained through a regular, incampus course from a recognised medical institution, namely: \_\_\_\_

SI.	Name of	Academic qualification
No.	specialty	
(1)	(2)	(3)
1.	Anatomy	Master of Science in Medical Anatomy with Doctor of Philosophy in Medical Anatomy
2.	Biochemistry	Master of Science in Medical Biochemistry with Doctor of Philosophy in Medical Biochemistry
3.	Physiology	Master of Science in Medical Physiology with Doctor of Philosophy in Medical Physiology
4.	Pharmacology	Master of Science in Medical Pharmacology with Doctor of Philosophy in Medical Pharmacology
5.	Microbiology	Master of Science in Medical Microbiology with Doctor of Philosophy in Medical Microbiology

#### Qualifications for appointment as a non-medical faculty

**12.** Appointment of faculty during transition period. — Where there is a shortage of qualified faculty in a particular specialty, any person possessing the qualifications specified in Tables A, B, C and D of

(a) at least three years of experience in a medical institution with an exclusive department or unit dedicated to the specialty, having separate and dedicated infrastructure and faculty members who are not concurrently shown as part of any other department or unit; or

(b) at least three years of experience in an institute of national importance with a dedicated department or unit in the specified specialty; or

(c) at least three years of experience in a reputed or recognised institute of excellence in India or abroad, approved by the Commission, running a department or unit dedicated to the specified specialty; and

(d) shall have at least two research publications in the concerned specialty during the three years period specified above and must be amongst first three authors.

**13.** Counting of teaching experience in certain postings. — A cumulative period of up to five years served by a faculty member in the Commission or a University or State Medical Council or medical education department or medical research related Government organisation, shall be deemed teaching experience and be included in the computation of total service period of the faculty member.

**14. Exemption from Basic Course in Medical Education.** — The following faculty shall be exempt from the . requirement to undergo the Basic Course in Medical Education, namely: –

(a) any faculty serving in super specialty departments or in broad specialty subjects not included in the undergraduate curriculum; and

(b) any faculty serving in an institute of national importance:

Provided that the faculty specified in clause (b) shall be required to complete the course within two years of appointment in a recognised medical institution.

**15.** Appointment of Assistant Professors of Statistics. — Any person who possesses the following qualifications shall be eligible for appointment as Assistant Professor of Statistics in the Department of Community Medicine namely: —

(a) a Master of Science degree in Health Statistics or Medical Statistics or

Biostatistics or Statistics; and

(b) a Doctor of Philosophy degree.

**16.** Eligibility for designation as Postgraduate Guide in broad specialties. — A faculty member in a medical institution shall be eligible to be designated as a Postgraduate Guide in a broad specialty if such member possesses at least five years of teaching experience in the respective specialty as an Assistant Professor or above.

**17.** Eligibility for designation as Postgraduate Guide in super specialties. — A faculty member in a medical institution shall be eligible to be designated as a Postgraduate Guide in a super specialty if such member possesses at least three years of teaching experience in the respective super specialty as an Assistant Professor or above.

**18. Equivalent foreign postgraduate qualifications.** — Any person who has acquired Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualification in India and obtained recognised medical qualification (eligible for registration in India) from any of the five English speaking countries such as the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand, shall be eligible for appointment as Assistant Professor or Senior Resident in a medical institution in India in the respective specialty:

Provided that any such person having teaching experience of one year and registered in any such country, to practice in that specialty, may be exempted from the requirement of mandatory one year experience of Senior Residency, for eligibility for the post of Assistant Professor:

Provided further that in the case of—

- (a) United Kingdom, such person possesses the Certificate of Completion of Specialist Training or equivalent training with final Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians qualification and registered in that country to practice in that specialty,
- (b) United States of America and Canada, \_\_

(i) such person possesses Doctor of Medicine degree with Residency Training Certificate in the relevant specialty in the United States of America; and

(ii) for super specialties, has completed Residency Training Programme along with accredited Fellowship Programme in the relevant super specialty;

(c) Australia and New Zealand, —.

(i) such person has completed the supervised training programme culminating in the Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians of the respective specialty; and

(ii) for super specialties, has at atleast two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective sub specialty.

**19.Appointment of Medical Physicists.** — A person shall be eligible for appointment to various posts of Medical Physicists specified in column (2) of the table below, if such person possesses the academic qualifications specified in columns (3) and the experience specified in the corresponding column (4), of the said table, namely: \_\_\_\_

Sl. No.	Name of post	Academic qualifications	Experience
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Medical Physicist Grade II or Demonstrator	M.Sc Medical Physics or Radiological Physics and one-year internship;	Not applicable.
		or M.Sc Physics with Diploma in Radiological Physics or Medical Physics and one-year internship.	

Qualifications for	or appointment as	Medical Physicists.

Table

ाग III—र	खण्ड 4] भाष	रत का राजपत्र : असाधारण	27
2.	Medical Physicist Grade I or Assistant Professor.	<ul> <li>(a) (i) M.Sc Medical Physics or Radiological Physics; or</li> <li>(ii) M.Sc Physics with Diploma in Radiological Physics or Medical Physics; and</li> <li>(b) Ph.D. in Medical Physics or Radiological Physics.</li> </ul>	Total four years as Medica Physicist Grade II out of which one year shall be post Ph.D. in a recognised medical institution of hospital with recognised DNE (Radiation Oncology) course.
3.	Senior Medical Physicist or Associate Professor	<ul> <li>(a) (i) M.Sc Medical Physics or Radiological Physics or</li> <li>(ii) M.Sc Physics with Diploma in Radiological Physics or Medical Physics; and</li> <li>(b) Ph.D. in Medical Physics or Radiological Physics.</li> </ul>	<ul> <li>(a) Medical Physicist Grade I or Assistant Professor with fou years of experience in a recognised medical institution o Hospital with recognised DNE (Radiation Oncology) Course and</li> <li>(b) have published at least two research publications in the previous post and must be amongst first three authors.</li> </ul>
4.	Chief Medical Physicist or Professor.	<ul> <li>(a) (i) M.Sc Medical Physics or Radiological Physics; or</li> <li>(ii) M.Sc Physics with Diploma in Radiological Physics or Medical Physics; and</li> <li>(b) Ph.D. in Medical Physics or Radiological Physics.</li> </ul>	<ul> <li>(a) Senior Medical Physicist or Associate professor with three years of experience in a recognised medical institution or hospital with recognised DNB (Radiation Oncology) Course; and</li> <li>(b) have published at least two research publications in the previous post and must be amongst first three authors.</li> </ul>

20. Appointment of faculty in the department of Dentistry in a medical institution. — A person shall be eligible for appointment to various posts specified in column (2) of the table below, if such person possesses the academic qualifications specified in columns (3) and the experience specified in the corresponding column (4), of the said table, namely: -

Table

Qualifications for appointment as faculty in the department of Dentistry Academic S1. Posts Teaching experience, research, and other requirements N0. qualifications (1) (2) (3) (4)1. Professor M.D.S. (a) (i) Associate Professor in the department of Dentistry for three years in a recognised medical institution; or (ii) Associate Professor for four years in a recognised dental college; and

			<ul> <li>(b) (i) have published at least two research publications after appointment as Associate Professor and must be amongst first three authors;</li> <li>(ii) shall be required to undergo the Basic Course in Medical Education from institutions designated by the Commission within two years of appointment; and</li> <li>(iii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from institution designated by the Commission.</li> </ul>
2.	Associate Professor	M.D. S	<ul><li>(a) (i) Assistant Professor in the department of Dentistry for four years in a recognised medical institution; or</li><li>(ii) Assistant Professor for five years in a recognised dental college; and</li></ul>
			(b) (i) have published at least two research publications after appointment as Assistant Professor and must be amongst first three authors;
			(ii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education from institutions designated by the Commission within two years of appointment; and
			(iii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from institution designated by the Commission.
3.	Assistant Professor	M.D. S	One year as Senior Resident or Registrar or Tutor or Lecturer in the concerned subject in a recognised medical or dental college after acquiring MDS degree.
			Note: One year experience as Assistant Professor shall be considered against one year experience as a Senior Resident.
4.	Senior Resident	M.D. S	Any person undergoing senior residency in Dentistry after obtaining Master in Dental Surgery degree in a medical college or dental college.
			Note 1: The post of Senior Resident shall be for a maximum period of three years.
			Note 2: The upper age-limit shall be below 45 years of age at the time of initial appointment.

### SCHEDULE

[See regulations 3 and 7 (1)]

Table A

Academic qualifications for faculty in medical broad specialties

SI. No	Name of the Specialty	Academic qualification	Alternate academic qualifications during transition period
1.	Aerospace Medicine	M.D. (Aviation Medicine)/M.D. (Aerospace Medicine)	Not applicable
2.	Anatomy	M.D./M.S./DNB (Anatomy), MSc (Medical Anatomy) with	Not applicable

SI. No	Name of the Specialty	Academic qualification	Alternate academic qualifications during transition period
		PhD in Medical Anatomy	
3.	Anaesthesiology	M.D./DNB (Anaesthesiology)	Not applicable
4.	Biochemistry	M.D./DNB (Biochemistry),	Not applicable
		MSc (Medical Biochemistry) with PhD in Medical Biochemistry	
5.	Biophysics	M.D. (Biophysics)	Not applicable
		MSc (Biophysics or Medical Biochemistry) with Ph.D. (Biophysics)	
		M.D. (Physiology)	
		M.D. (Biochemistry)	
6.	Community Medicine	M.D./DNB (Community Medicine)	Not applicable
		M.D. (Community Health Administration)	
7.	Dermatology, Venereology and Leprosy	M.D./DNB (Dermatology, Venereology and Leprosy)	Not applicable
8.	Emergency Medicine	M.D./DNB (Emergency Medicine)	Not applicable
		M.D./DNB (General Medicine)	
		M.D./DNB (Anaesthesia)	
		M.D./DNB (Respiratory Medicine)	
		M.S./DNB (General Surgery)	
		M.S./DNB (Orthopaedics)	
9.	Family Medicine	M.D./DNB (Family Medicine)	Not applicable
		M.D./DNB (General Medicine)	
		M.D./DNB (Paediatrics)	
		M.D./DNB (Obstetrics and Gynaecology)	
		M.D./DNB (General Surgery)	
		M.D./DNB (Community Medicine)	
10.	Forensic Medicine and Toxicology	M.D./DNB (Forensic Medicine and Toxicology)	Not applicable
11.	General Medicine	M.D./DNB (General Medicine)	Not applicable

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Sl. No			Alternate academic qualifications during transition period
•			
12.	Geriatrics	M.D./DNB (Geriatrics)	M.D./DNB (General Medicine)
13.	Health Administration	M.D. (Health Administration) DNB (Community Health Administration) MD (Community Medicine)	Not applicable
14.	Hospital Administration	M.D. (Hospital Administration)	Not applicable
15.	Immuno Haematology and Blood Transfusion	M.D./DNB (Immuno Haematology and Blood Transfusion)	M.D./DNB (Transfusion Medicine) M.D./DNB (Pathology)
16.	Laboratory Medicine	M.D. (Laboratory Medicine)	M.D./DNB (Pathology) M.D./DNB (Microbiology) M.D./DNB (Biochemistry)
17.	Marine Medicine	M.D. (Marine Medicine)	M.D./DNB (Physiology) M.D./DNB (General Medicine)
18.	Master of Public Health (Epidemiology)	MPH (Master of Public Health in Epidemiology)	M.D./DNB (Community Medicine)
19.	Microbiology	M.D./DNB (Microbiology), MSc (Medical Microbiology) with PhD in Medical Microbiology	Not applicable
20.	Nuclear Medicine	M.D./DNB (Nuclear Medicine)	<ul> <li>M.D. (Radiotherapy) with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognised center</li> <li>M.D. (Medicine) with DRM or DNM</li> <li>M.D. (Radio-diagnosis) with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognised center</li> <li>M.D. (Biophysics) or its equivalent qualification in Biophysics with DRM or DNM or DNB in Nuclear Medicine with two years' experience in Nuclear Medicine in a recognised center.</li> </ul>

Sl. No	Name of the Specialty	Academic qualification	Alternate academic qualifications during transition period
21.	Paediatrics	M.D./DNB (Paediatrics)	Not applicable
22.	Palliative Medicine	M.D./DNB (Palliative Medicine)	M.D./DNB (Anaesthesiology) M.D./DNB (General medicine) M.D./DNB (Radiation Oncology) M.D./DNB (Geriatric medicine)
23.	Pathology	M.D./DNB (Pathology)	Not applicable
24.	Pharmacology	M.D./DNB (Pharmacology), MSc (Medical Pharmacology) with PhD in Medical Pharmacology	Not applicable
25.	Physical Medicine and Rehabilitation	M.D./ DNB (Physical Medicine and Rehabilitation)	M.S./M.D./DNB (Medicine with Diploma in PMR) M.S. /DNB (General Surgery) M.S. /DNB (Orthopaedics)
26.	Physiology	M.D./ DNB(Physiology), MSc (Medical Physiology) with PhD in Medical Physiology	Not applicable
27.	Psychiatry	M.D./ DNB(Psychiatry)	Not applicable
28.	Radiation Oncology	M.D./ DNB (Radiation Oncology)	Not applicable
29.	Radio-Diagnosis	M.D./ DNB(Radio-Diagnosis)	Not applicable
30.	Respiratory Medicine	M.D./ DNB (Respiratory Medicine)	Not applicable
31.	Sports Medicine	M.D. (Sports Medicine)	<ul> <li>M.D. (Sports Medicine)</li> <li>M.S. (Orthopaedics)</li> <li>M.D. (Physical Medicine and Rehabilitation)</li> <li>M.D. (Physiology)</li> <li>D.S.M (Diploma in Sports Medicine)</li> </ul>
32.	Tropical Medicine	M.D. (Tropical Medicine)	M.D. (General Medicine)

S. No.	Name of the specialty	Academic qualification	Academic qualifications during transition period
1	General Surgery	M.S./DNB (General Surgery)	Not applicable
2	Obstetrics and Gynaecology	M.D./M.S./DNB (Obstetrics and Gynaecology)	Not applicable
3	Ophthalmology	M.S./M.D./DNB (Ophthalmology)	Not applicable
4	Orthopaedics	M.S./DNB (Orthopaedics)	Not applicable
5	Otorhinolaryngology	M.S./DNB (Otorhinolaryngology)	Not applicable
6	Traumatology and Surgery	M.S./DNB (Traumatology and Surgery)	M.D./M.S./DNB (General Surgery) M.D./M.S./DNB (Orthopaedics)

Table B Academic qualifications for faculty in surgical broad specialties

### Table C

Academic qualifications for faculty in medical super specialties

S. No.	Name of the specialty	Academic qualification	Academic qualifications during transition period
1.	Cardiac Anaesthesia	D.M./DNB/ DrNB (Cardiac Anaesthesiology)	M.D./DNB (Anaesthesia)
2.	Cardiology	D.M./DNB/DrNB (Cardiology)	Not applicable
3.	Child and Adolescent Psychiatry	D.M. (Child and Adolescent Psychiatry)	M.D./DNB (Psychiatry)
4.	Clinical Haematology	D.M./DNB/DrNB (Clinical Haematology)	M.D./DNB (Biochemistry)
			M.D./DNB (General Medicine)
			M.D./DNB (Paediatrics)

[भाग	III—खण्ड	4]

S. No.	Name of the specialty	Academic qualification	Academic qualifications during transition period
			M.D./DNB (Pathology)/ M.D./DNB (Immuno haematology and Blood Transfusion)
5.	Clinical Immunology and Rheumatology	D.M./DNB/DrNB (Clinical Immunology and Rheumatology)	M.D./DNB (General Medicine) M.D./DNB (Paediatrics)
6.	Clinical Pharmacology	D.M. (Clinical Pharmacology)	M.D./DNB (Pharmacology)
7.	Critical Care Medicine	D.M./DNB/DrNB (Critical Care Medicine)	M.D./DNB (Anaesthesiology) M.D./DNB (General Medicine) M.D./DNB (Respiratory Medicine) M.D./DNB (Emergency Medicine) M.D./DNB/ DM (Pulmonary Medicine)
8.	Endocrinology	D.M./DNB/DrNB (Endocrinology)	Not applicable
9.	Geriatric Mental Health	D.M. Geriatric Mental Health	M.D./DNB (Psychiatry)
10.	Hepatology	D.M. (Hepatology)	D.M./DNB/DrNB 1.Gastroenterology 2.General Medicine
11.	Infectious Disease	D.M. (Infectious Disease)	M.D./DNB (General Medicine) M.D./DNB (Paediatrics) M.D./DNB (Microbiology) M.D./DNB (Respiratory Medicine) M.D./DNB (Tropical Medicine)

S. No.	Name of the specialty	Academic qualification	Academic qualifications during transition period
12.	Interventional Radiology	D.M./DNB/DrNB (Interventional Radiology)	M.D./DNB (Radio-diagnosis)
13.	Medical Gastroenterology	D.M./DNB/DrNB (Gastroenterology)	Not applicable
14.	Medical Genetics	D.M./DNB/DrNB (Medical Genetics)	M.D./DNB (General Medicine) M.D./DNB (Paediatrics) M.D./DNB (Obstetrics and Gynaecology)
15.	Medical Oncology	D.M./DNB/DrNB (Medical Oncology)	M.D./DNB (General Medicine) M.D./DNB (Paediatrics) M.D./DNB (Radiation Oncology)
16.	Neonatology	D.M./DNB/DrNB (Neonatology)	M.D./DNB (Paediatrics)
17.	Nephrology	D.M./DNB/DrNB (Nephrology)	Not applicable
18.	Neuro-Anaesthesia	D.M./DNB/DrNB (Neuro-anaesthesia)	M.D./DNB (Anaesthesia)
19.	Neurology	D.M./DNB/DrNB (Neurology)	Not applicable
20.	Neuro-radiology	D.M. (Neuro-radiology)	M.D./DNB (Radio- diagnosis)
21.	Onco-Pathology	D.M. (Onco-Pathology)	M.D./DNB (Pathology)
22.	Organ Transplant Anaesthesia and Critical Care	D.M. (Organ Transplant Anaesthesia and Critical Care)	M.D./DNB (Anaesthesia)

[भाग	III—खण्ड	4]

S. No.	Name of the specialty	Academic qualification	Academic qualifications during transition period
23.	Paediatric and Neonatal Anaesthesia	D.M. (Paediatric and Neonatal Anesthesia)	M.D./DNB (Anaesthesia)
24.	Paediatric Cardiology	D.M./DNB/DrNB (Paediatric Cardiology)	M.D./DNB Paediatrics
25.	Paediatric Critical Care	D.M./DNB/ DrNB (Paediatric Critical Care)	M.D./DNB (Paediatrics)
26.	Paediatric Gastroenterology	D.M. (Paediatric Gastroenterology)	M.D./DNB Paediatrics
27.	Paediatric Hepatology	D.M. (Paediatric Hepatology)	M.D./DNB Paediatrics
28.	Paediatric Nephrology	D.M. (Paediatric Nephrology)	MD./DNB Paediatrics
29.	Paediatric Neurology	D.M./DNB/DrNB (Paediatric Neurology)	M.D./DNB Paediatrics
30.	Paediatric Oncology	D.M. (Paediatric Oncology)	M.D./DNB Paediatrics
31.	Pulmonary Medicine	D.M. (Pulmonary Medicine)	M.D./DNB (Respiratory Medicine) M.D./DNB (General Medicine) M.D./DNB (Paediatrics)
32.	Virology	D.M. (Virology).	M.D./DNB (Microbiology)

### Table D

### Academic qualifications for faculty in surgical super specialties

Sl.		Academic Qualification	L L	during
No.	Specialty		transition period	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Endocrine	M.Ch. (Endocrine Surgery)	M.S./DNB (General Surgery)	

36
----

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Sl. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Academic qualifications during transition period
(1)	(2)	(3)	(4)
	Surgery		
2.	Gynaecologica l Oncology	M.Ch./DNB/ DrNB (Gynecological Oncology)	M.D./M.S./DNB (Obstetrics and Gynaecology).
3.	Hand Surgery	M.Ch. (Hand Surgery)	M.S./DNB (Orthopaedics)
4.	Head and	M.Ch.	M.S./DNB (General Surgery)
	Neck Surgery	(Head and Neck Surgery)	M.S./DNB (Otorhinolaryngology)
5.	Hepato- Pancreato- Biliary - Surgery	M.Ch. (Hepato-Pancreatto- Biliary- Surgery).	1.M.Ch./DNB(SurgicalGastroenterology)2.M.S. / DNB (General Surgery)
6.	Neurosurgery	M.Ch/DNB/DrNB (Neuro Surgery)	Not applicable
7.	Paediatric (Cardio Thoracic Vascular Surgery)	M.Ch. (Paediatric Cardiothoracic Vascular Surgery)	<ol> <li>M.Ch./DNB/DrNB (Cardiovascular and Thoracic Surgery)</li> <li>M.S. /DNB in General Surgery.</li> </ol>
8.	Paediatric Orthopaedics	M.Ch. (Paediatric Orthopaedics)	M.S./DNB (Orthopaedics)
9.	Paediatric Surgery	M.Ch./DNB / Dr NB (Paediatric Surgery)	Not applicable
10.	Plastic and Reconstructive Surgery	M.Ch/DNB/ Dr NB (Plastic and Reconstructive Surgery)	Not applicable
11.	Reproductive Medicine and Surgery	M.Ch. (Reproductive Medicine and Surgery)	M.D./M.S./DNB (Obstetrics and Gynaecology) FNB (Reproductive Medicine) with additional one year experience.
12.	Surgical Gastroenterolo gy	M.Ch/DNB/ Dr NB (Surgical Gastroenterology)	M.S./DNB (General Surgery)
13.	Surgical	M.Ch./DNB/DrNB	Not applicable

भिगग	III—खण्ड	41

Sl. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Academic qualifications during transition period
(1)	(2)	(3)	(4)
	Oncology	(Surgical Oncology)	
14.	Urology	M.Ch/DNB/DrNB (Urology)	Not applicable
15.	Vascular Surgery	M.Ch./DNB/DrNB (Vascular Surgery)	M.S./DNB (General Surgery)
16.	Cardio Vascular and Thoracic Surgery	M.Ch/DNB/ DrNB (Cardio Vascular and Thoracic Surgery)	Not applicable

## (e) Table E

Experience, research and other requirements for faculty in medical broad specialties and surgical broad specialties

[Doctor of Medicine (M.D) and Master of Surgery (M.S)]

Sl.No.	Posts	Academic qualifications	Teaching experience, research, and other requirements
1.	Professor	As per Table A and Table B	<ul> <li>(a) (i) Associate Professor in the subject for three years in a recognised medical institution; or</li> <li>(ii) Specialist Medical Officer of the Armed Forces having at least three years of experience as Associate Professor in the relevant speciality in a teaching hospital of the Armed Forces; and</li> <li>(b) (i) have published at least two research publications after becoming Associate Professor and must be amongst the first three</li> </ul>
			authors; (ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognised medical institution; and (iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training.
			Note 1: In the case of Aviation Medicine and Marine Medicine, two years of experience as Flying Squadron for Aviation and two years of experience in a Diving and Escape Training School for Marine medicine, shall be considered equivalent to one-year teaching

			experience as Associate Professor. Note 2: A Senior Consultant, having three years of experience as post graduate teacher of broad specialty or super specialty subject in the National Board of Examination in Medical Sciences recognised Government medical institute shall be eligible to become Professor in a recognised medical institution of the concerned specialty and total number of years of experience as Post Graduate teacher in National Board of Examination in Medical Sciences recognised government medical institute shall be considered as experience as Professor in a recognised medical institution.
2.	Associate Professor	As per Table A and Table B	<ul> <li>(a) (i) Assistant Professor in the subject for four years in a recognised medical institution or for five years for those appointed directly as Assistant Professor in Government medical institution; or</li> <li>(ii) a Specialist Medical Officer of the Armed Forces, having at least five years of clinical experience in the relevant specialty after obtaining the recognised Postgraduate qualification in the subject, of which at least three years teaching experience as Assistant Professor in a teaching hospital of the Armed Forces; and</li> <li>(b) (i) have published at least two research publications after becoming Assistant Professor and must be amongst first three authors;</li> <li>(ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognised medical institution designated by the Commission; and</li> <li>(iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training.</li> <li>Note 1: In the specialty of Aviation Medicine and Marine Medicine, maximum of four years' experience in Flying Squadrons and in Diving and Escape training Schools, respectively, will be considered equivalent to two years of teaching experience for becoming Associate Professor.</li> <li>Note 2: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be</li> </ul>

			required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of the appointment.
3.	Assistant Professor	As per Table A and Table B	(a) one year as Senior Resident in the concerned subject as specified in regulation 8 in a recognised medical institution.
			Note 1: The requirement of one-year Senior Resident experience is relaxed for those appointed directly as Assistant Professor in Government medical institute immediately before the publication of these regulations.
			Note 2: The experience gained by a Tutor in a medical institution of his specialty, having a postgraduate degree, shall be considered equivalent to the experience required as a Senior Resident for the purpose of eligibility for the post of Assistant Professor.
			Note 3: The experience gained by a Demonstrator in a medical institution of his specialty, having a Master of Science and Doctor of Philosophy degree, shall be considered equivalent to the experience required as a Senior Resident for the purpose of eligibility for the post of Assistant Professor; or
			(b) Specialist Medical Officers of the Armed Forces having at least one year teaching experience or two years of clinical experience after obtaining the requisite postgraduate qualification in the concerned subject.
			Note: In the specialty of Aviation Medicine and Marine Medicine two years of such experience in flying Squadrons and in Diving and Escape training Schools respectively will be considered equivalent to one year of teaching experience (in lieu of Senior Resident) to become an Assistant Professor; or
			(c) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two
			(d) diploma holders appointed as Senior

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Residents in a recognised medical institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or
(e) diploma holders working as Specialist or Medical Officer in the respective departments of a government medical institution or Government medical institution running National Board of Examination and Medical Science recognised teaching programme having cumulative experience of six years.

Note: For the purposes of appointment as faculty in Emergency Medicine department, the previous teaching experience in the broad specialties of General Surgery or Anaesthesia or Respiratory Medicine or Orthopaedics or General Medicine shall be counted and, on such appointment, shall complete faculty development programme or trainings prescribed by the Commission, within two years of appointment.

### Table F

# Experience, research and other requirements for faculty in medical super specialties and surgical super specialties

Sl.No.	Posts	Academic qualifications	Teaching and research experience
1.	Professor	As per Table C and Table D	(a) Associate Professor in the subject for three years in a recognised medical institution; and
			(b) (i) have published at least two research publications after appointment as Associate Professor and must be amongst first three authors; and
			(ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognised medical institution designated by the Commission.
2.	Associate Professor	As per Table C and Table D	(a) As Assistant Professor in the subject for two years in a recognised medical institution; and
			(b) (i) have published at least two research publications after appointment as Assistant Professor and must be amongst first three authors; and
			(ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from medical institution designated by the Commission.
3.	Assistant Professor	As per Table C and Table D	Have completed the Basic Course in Biomedical Research from recognised medical institution designated by the Commission.

### [Doctorate of Medicine (D.M) and Master of Chirugiae (M. Ch)]

Note: Any faculty having super specialty qualification and serving in a recognised medical institution in a broad specialty department shall be eligible to be a faculty of equivalent cadre of the concerned super speciality department.

> Dr. RAGHAV LANGER, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./198/2025-26]

Note: These Regulations are being published in English and Hindi, the English version shall prevail in case of any doubt about the interpretation of these Regulations.

> Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.